

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक- 98643/आईडिल फण्ड /2016-17 दिनांक- 21.02.17

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के पत्रांक 90597/आई०फण्ड०/2016-17 दिनांक 30.01.2017 के सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि मण्डलीय शाखा प्रबन्धकों का वेतन विपत्र मुख्यालय द्वारा तभी स्वीकृत किया जायेगा जब वह सम्बन्धित मण्डल की जिला स्तरीय शाखाओं से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि बैंक नियमानुसार जिला स्तर की शाखाओं द्वारा वसूली का धन मुख्यालय प्रेषित कर दिया गया है। यदि जिला स्तर के किसी शाखा प्रबन्धक द्वारा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसका स्पष्ट उल्लेख वेतन विपत्र में कर दिया जाय।

ह०/-
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
- 2-उप महाप्रबन्धक(कम्प्यू०) को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ह०/-
प्रबन्ध निदेशक